न्यायालय प्रथम अपर सिविल जज (सी०डि०), सहारनपुर।

मुलवाद संख्या 436 सन् 2018

परवीन बनाम गुलशाना आदि

05.08.2026

1. पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। पूर्व तिथि पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6ग एवं आपत्ति 40ग पर सुना जा चुका है। प्रार्थना पत्र 6ग2 का निस्तारण निम्नवत किया जाता है–

निस्तारण प्रार्थनापत्र–6ग2 एवं आपत्ति–40ग

2. वादनी की ओर से प्रार्थनापत्र–6ग2 मय शपथपत्र–7ग2 प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रतिवादीगण को दौरान वाद बजरिये अंतरिम निषेधाज्ञा निषिद्ध किया जावे कि प्रतिवादीगण बतौर खुद या दीगर एजेंसी के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वादनी को सम्पत्ति निम्नलिखित से जबरदस्ती बेदखल करके उस पर अनाधिकृत कब्जा न करें और न करावे और सम्पत्ति निम्नलिखित को किसी अन्य को हस्तान्तरित न करें तथा सम्पत्ति निम्नलिखित की प्रकृति न बदले। सम्पत्ति निम्नलिखित का पहले मालिक व काबिज वादनी के बाबा वजीर अहमद पुत्र श्री नूर मौहम्मद निवासी मौहल्ला सडक पार कस्बा बेहट तहसील बेहट जिला सहारनपुर चले आते थे। और उपरोक्त श्री वजीर अहमद का नाम संपत्ति निम्नलिखित में राजस्व कागजात खसरा व खतौनी मे दर्ज चला आता था और उपरोक्त श्री वजीर अहमद को सम्पत्ति निम्नलिखित के सम्बन्ध में कुल अधिकार मालकाना व हस्तान्तरण के हांसिल थे। वादनी उक्त वजीर अहमद की पोत्री है तथा वादनी वजीर अहमद की दिल से इज़्ज़त और खिदमत गुजारी करती थी और वजीर अहमद को भी वादनी से दिली मौहब्बत व उन्सियत थी और ताल्लुक रूहानी था और उक्त वजीर अहमद वादनी की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी से बहुत खुश थे। वजीर अहमद ने वादनी की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी से खुश होकर सम्पत्ति निम्नलिखित का हिबा जुबानी वादनी के हक में दिनांक 15.01.16 को कर दिया था जिसको वादनी ने उसी समय कबूल एवं मन्जूर कर लिया था और वजीर अहमद ने वादनी का कब्जा मालिक की हैसियत से सम्पत्ति निम्नलिखित पर उसी वक्त करा दिया था और वादनी सम्पत्ति निम्नलिखित में मालिक की हैसियत से हिबा जुबानी के दिनांक के समय से ही काबिज काश्त चली आती है और संपत्ति निम्नलिखित में बाग आम खडा चला आता है तथा वजीर अहमद का कोई ताल्लुक या वास्ता किसी प्रकार का सम्पत्ति निम्नलिखित से हिबा जुबानी के बाद से नही रहा था। उपरोक्त हिबा जुबानी की एक याद्दाश्त भी दिनांक 28.01.16 को उक्त वजीर अहमद द्वारा तहरीर व तकमील करके निष्पादित की गयी और वादनी के हवाले की गयी उक्त वजीर अहमद का इंतकाल भी अरसा पूर्व हो गया था और वादनी संपत्ति निम्नलिखित पर मालिक व काबिज चली आती है। प्रतिवादीगण या किसी अन्य का कोई ताल्लुक या वास्ता वादनी की संपत्ति निम्नलिखित से किसी प्रकार का नही है प्रतिवादीगण इब्राहिम की दूसरी पत्नी व

उसकी संताने चली आती है तथा शाईस्ता इब्राहिम की पुत्री भी गलत तौर से दर्ज करायी है जबकि शाईस्ता इब्राहिम की बहन की पुत्री चली आती है। प्रतिवादीगण ने गलत तथ्यों के आधार पर व राजस्व कर्मचारियो से साज करके राजस्व कागजात में अपना नाम दर्ज करा लिया जिसके आधार पर वह संपत्ति प्रश्नगत को अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित करने व वादनी को संपत्ति निम्नलिखित से बेदखल करने की धमकी दे रहे है जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी भी प्रकार से प्राप्त नही है। प्रतिवादीगण दिनांक 29.05.18 को अपने साथ कुछ सामाजिक किसम के व्यक्तियों को लेकर आये उसमें खडे आम के पेडो को काटने की धमकी दी तथा संपत्ति निम्नलिखित को किसी अन्यको हस्तान्तरित करने की धमकी दी जिस पर वादनी ने प्रतिवादीगण को संपत्ति निम्नलिखित की बाबत अपने अधिकारो से परिचित कराया तथा प्रतिवादीगण को ऐसा न करने को कहा और उस समय मौके पर काफी शोर हुआ जिस कारण आसपास के व्यक्ति भी मौके पर आ गये जिस कारण प्रतिवादीगण उस समय तो मौके से जाने को विवश हो गये लेकिन वह शीघ्र अति शीघ्र अपने उक्त कार्य को पूरा करने की धमकी देकर गये है। वादनी ने प्रतिवादीगण से हरचन्द कहा एवं कहलवाया कि प्रतिवादीगण खिलाफ कानून नाजायज तौर से वादनी को सम्पत्ति निम्नलिखित से जबरदस्ती बेदखल करके उस पर अनाधिकृत कब्जा करने की धमकी ना दे और वादनी को सम्पत्ति निम्नलिखित का मालिक व काबिज मानने से इन्कार ना करें उसकी मिलकियत से इंकार न करें और हिबा जुबानी दिनांकित 15.1.16 को मानने से इंकार न करें और संपत्ति निम्नलिखित को किसी अन्यको हस्तान्तरित करने की धमकी न दे परन्तु प्रतिवादीगण बावजह होने लालच सवार वादनी की मौखिक प्रार्थना की माननीय न्यायालय के बाहर कोई सुनवाई नही करता है। वादनी का प्रथम दृष्टया वाद है सुविधा का संतुलन भी वादनी के हित में है। प्रतिवादीगण बिना अधिकार वादनी को उसकी सम्पत्ति प्रश्नगत से बेदखल करने व वादनी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने की धमकी दे रहे हैं जिसका कोई अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को दौरान वाद बजरिये अंतरिम निषेधाज्ञा निषिद्ध किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कारणों से प्रार्थना पत्र 6ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

विवरण सम्पत्ति

खसरा नंबर 629 रकबई 0.3380 हैक्टैयर, 630 रकबई 0.1230 हैक्टेयर, 631 रकबई 0.5840 हैक्टैयर, 632/2 रकबई 0.0980 हैक्टैयर, 722/5 रकबई 2.1240 हैक्टैयर, व 724/8 रकबई 0.6250 है, 113/2 रकबई 0.4760 हैक्टैयर स्थित ग्राम बेहट बैरून परगना फैजाबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर। व खसरा नंबर 290/2 रकबई 0.4000 हैक्टैयर व 2912 रकबई 0.4510 हैक्टैयर स्थित मरवा परगना फैजाबाद तहसील बेहट जिला सहारनपुर में हिबे के आधार पर 1/2 भाग।

3. **प्रतिवादीगण संख्या 1,2 व 5** द्वारा **आपत्ति 40ग** दाखिल कर प्रार्थना पत्र का

विरोध किया गया तथा शपथ पत्र में कथन किया गया कि वादनी द्वारा आवेदन पत्र अन्तरिम निषेध्याज्ञा आदेश एवं उपरोक्त वाद बिना किसी कारण उत्पन्न हुए मात्र प्रतिवादीगण मुजीब को तंग, परेशान व जेर बार करने तथा प्रश्नगत सम्पत्ति हडपने के मंतव्य से योजित किया गया है, जिसमें लेशमात्र भी सार एवं सत्यता नहीं है और जो प्रत्येक अवस्था में सव्यय खण्डित होने योग्य है। वादनी काबिज जायदाद नहीं है और न ही वादनी के पास कोई टाईटल है जबकि प्रतिवादीगण मुजीब काबिज जायदाद हैं और प्रतिवादीगण मुजीब का नाम राजस्व विभाग में बतौर मालिक काबिज दर्ज चला आता है। वादनी प्रश्नगत सम्पत्ति की रिकार्डिड टैन्योर होल्डर नहीं है, न ही वादनी का नाम खसरा– खतौनी में दर्ज है और न ही काबिज जायदाद है। प्रस्तुत वाद में उ० प्र० जमींदारा विनाश अधिनियम का जटिल प्रश्न लिप्त है, जिस कारण माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद सुनने एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है, जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग को है। उपरोक्त वाद में लिप्त प्रश्नगत सम्पत्ति जिसकी बाबत कथित जाली एवं फर्जी हिबा जुबानी होना दर्शाया गया है, कृषि भूमि है जिसका कोई हिबा जुबानी कानूनन नहीं हो सकता। प्रतिवादीगण मुजीब तथा प्रतिवादीगण 3 व 4 प्रश्नगत सम्पत्ति पर बतौर मालिक काबिज चले आते हैं, उसमें फसलें बोते एवं काटते चले आते हैं और उनका नाम राजस्व विभाग में दर्ज चला आता है। वादनी का यह कथन करना कि प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक काबिज श्री वजीर अहमद थे और उनका नाम राजस्व विभाग में दर्ज चला आता रहा, बिल्कुल सही है। कथित हिबा जुबानी फर्जी, जाली एवं बिना अधिकार है, प्रश्नगत सम्पत्ति कृषि भूमि है, जिसकी बाबत कोई हिबा जुबानी कानूनन नहीं हो सकता। कथित तहरीर याददाश्त हिबा जुबानी दिनांकित 28.01.2016 फर्जी, जाली एवं बिना अधिकार दस्तावेज है। वजीर अहमद के एक मात्र पुत्र इब्राहिम थे जिनका निधन वजीर अहमद के जीवन काल में दिनांक 29.10.2016 में हो गया। इब्राहिम ने अपने निधन पर प्रतिवादीगण मुजीब को अपने वारिसान छोडा। इसके बाद वजीर अहमद का निधन दिनांक 24.11.2016 को हो गया, इस प्रकार प्रतिवादीगण मुजीब वजीर अहमद के एक मात्र पुत्र इब्राहिम के वारिसान हैं और प्रश्नगत सम्पत्ति पर बतौर वारिस काबिज व दखील चले आते हैं। प्रश्नगत सम्पत्ति पर प्रतिवादीगण मुजीब का नाम किन्हीं राजस्व विभाग के कर्मियों के साज से हरगिज दर्ज नहीं कराया गया। बल्कि प्रतिवादीगण मुजीब का नाम राजस्व विभाग में बतौर वारिस सही तौर पर दर्ज हुआ और चला आता है। प्रतिवादीगण मुजीब द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति को बेचने की अथवा वादनी को बेदखल करने की कोई धमकी कभी नहीं दी गई। चूंकि वादनी का कोई सम्बंध किसी प्रकार का प्रश्नगत सम्पत्ति से कभी नहीं रहा और न ही है और न ही वादनी काबिज जायदाद है। कोई वाका दिनांक 29.05.2018 को या इससे पूर्व अथवा बाद में कभी नहीं हुआ न ही होने का कोई प्रश्न उठता है। वादनी हरगिज काबिज जायदाद नहीं है न ही उसका नाम राजस्व विभाग में दर्ज है। जबकि इसके विपरीत प्रतिवादीगण मुजीब काबिज जायदाद हैं और उनके नाम राजस्व विभाग में दर्ज चले आते हैं। प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 अल्पव्यस्क हैं जिनका कोई वली नियुक्त नहीं कराया गया, बिना प्रतिवादीगण संख्या 3 व 4 का वली नियुक्त कराए प्रस्तुत वाद तथा आवेदन पत्र

कानूनन पोषणीय नहीं है। कथित हिबा जुबानी दिनांकित 15.01.2016 तथा उसकी तहरीर याददाश्त जाली एवं फर्जी है, जिस पर वजीर अहमद के हस्ताक्षर एवं फोटो नहीं हैं न ही कभी वजीर अहमद ने किसी कथित तहरीर याददाश्त हिबा जुबानी दिनांकित 28.01.2016 पर अपने हस्ताक्षर किये न ही किये जाने का कोई प्रश्न होता था। कथित तहरीर याददाश्त हिबा जुबानी बिल्कुल जाली एवं फर्जी तथा बिना अधिकार दस्तावेज है तथा उस पर गवाहान ने अपनी गवाही फर्जी एवं जाली की है, जिस बाबत प्रतिवादीगण मुजीब वादनी तथा उसके गवाहान के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाई करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में वादनी प्रश्नगत सम्पत्ति पर काबिज नहीं है और न ही उसका नाम राजस्व विभाग में दर्ज है जबकि प्रतिवादीगण मुजीब प्रश्नगत सम्पत्ति के मालिक काबिज चले आते हैं तथा प्रतिवादीगण मुजीब का नाम राजस्व विभाग में दर्ज चला आता है। इस प्रकार वादनी का कोई प्रथम दृष्टया केस पत्रावली पर साबित नहीं है और न ही सुविधा का सन्तुलन वादनी के पक्ष में है। आदेश अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी रहने से प्रतिवादीगण मुजीब की अपूर्णीय क्षति है जबकि आदेश अन्तरिम निषेधाज्ञा निरस्त होने में वादनी को कोई हानि अथवा कठिनाई नहीं है। आवेदन पत्र अन्तरिम निषेधाज्ञा आदेश एवं उपरोक्त वाद वादनी अन्य तौर पर भी कानूनन पोषणीय नहीं है, जो प्रत्येक अवस्था में सव्यय खण्डित होने योग्य है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र अन्तरिम निषेधाज्ञा निरस्त होने योग्य है।

4. वादनी द्वारा रिज्वाईन्डर कागज संख्या 45 ग दाखिल कर प्रतिवादीगण द्वारा की गई आपत्तियों का खण्डन किया गया तथा वाद पत्र में किए गए कथनों का समर्थन किया गया।

5. वादनी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में **सूची 12 ग** से **कागज संख्या 13 ग** असल यादाश्त हिबानामा दिनांकित 28.01.2016, **कागज संख्या 14 ग** नकल खसरा ग्राम बेहट बैरून वर्ष 1425, **कागज संख्या 15 ग** नकल खतौनी ग्राम बेहट बैरून फसली वर्ष 1425–1430, **कागज संख्या 16 ग** नकल खसरा ग्राम मरवा वर्ष 1425, **कागज संख्या 17 ग** नकल खतौनी ग्राम मरवा फसली वर्ष 1423–1428, **सूची 104 ग** से **कागज संख्या 105 ग** आदेश दिनांकी 25.08.2023 बाबत वाद संख्या 1643/2022 अपर आयुक्त प्रशासन द्वितीय सहारनपुर, **कागज संख्या 106 ग** आदेश दिनांकी 25.08.2023 विरासत संबंधी निरस्तीकरण आर्डर शीट, **कागज संख्या 107 ग** निगरानी प्रार्थना पत्र बाबत निगरानी सं० 2650/2023, **कागज संख्या 108 ग** आदेश दिनांकी 03.10.2023 गुलशाना आदि बनाम जरीना राजस्व परिषद, **कागज संख्या 109 ग** एफ०आई०आर० मु० अ० संख्या183 सन् 2026, **कागज संख्या 110 ग** एफ०आई०आर० मु० अ० संख्या 606 सन् 2024, **कागज संख्या 111 ग** एफ०आई०आर० मु० अ० संख्या 398 सन् 2022, **कागज संख्या 112 ग** एफ०आई०आर० मु० अ० संख्या 113 सन् 2022, **कागज संख्या 113 ग** एफ०आई०आर० मु० अ० संख्या 482 सन् 2022, **कागज संख्या 114 ग**

वाद पत्र बाबत वाद सं० 137/2025, **कागज संख्या 115 ग** वादपत्र बाबत वाद सं० 201/2025, **कागज संख्या 115 ग/7–14** वादपत्र बाबत वाद सं० 623/2025, **कागज संख्या 115 ग/15** एक किता निगरानी संख्या 2650/2023 स्टेटस की प्रति, **सूची 116 ग** से **कागज संख्या 117 ग** नकल खतौनी बाबत खसरा नं० 113/2, **कागज संख्या 118 ग** असल खतौनी बाबत खसरा नं० 630, **कागज संख्या 119 ग** असल खतौनी बाबत खसरा नं० 631, **कागज संख्या 120 ग** असल खतौनी बाबत खसरा नं० 632/2, **एनेक्जर नं० 1 कागज संख्या 45 ग/5** रिपोर्ट अन्तर्गत 107/116 दं० प्र०सं० थाना बेहट, **एनेक्जर 2 कागज संख्या 45 ग/6** चार किता फोटे, दाखिल किये गये हैं।

6. प्रतिवादीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल नहीं किया गया है।

7. मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तथ्यों को विस्तारपूर्वक सुना तथा पत्रवाली पर उपलब्ध समस्त प्रलेखीय साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

8. अस्थाई निषेधाज्ञा की प्राप्ति हेतु वादनी को निम्न शर्तों को साबित करना होता हैः–**माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था नियोन लैबोरेट्रीज लिमिटेड बनाम मैडिकल टैक्नोलोजीज लिमिटेड** (2016)2 (ए.सी.सी.) 672 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रार्थनापत्र 6 ग–2 के निस्तारण हेतु निम्न तीन बिन्दुओं पर निष्कर्ष दिया जाना आवश्यक हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामला
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूरणीय क्षति

न्यायालय को सर्वप्रथम यह सुनिश्चत करना है कि क्या वादनी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला बनता है अथवा नहीं।

<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u>

9. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि वादनी द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु संस्थित किया गया है तथा प्रार्थनापत्र 6 ग प्रस्तुत कर याचना की गयी है कि प्रतिवादीगण को दौरान वाद बजरिये अंतरिम निषेधाज्ञा निषिद्ध किया जावे कि प्रतिवादीगण बतौर खुद या दीगर एजेंसी के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वादनी को सम्पत्ति निम्नलिखित से जबरदस्ती बेदखल करके उस पर अनाधिकृत कब्जा न करें और न करावें और सम्पत्ति निम्नलिखित को किसी अन्य को हस्तान्तरित न करें तथा सम्पत्ति निम्नलिखित की प्रकृति न बदले।

10. वादनी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में **कागज संख्या 13 ग** असल याददाश्त

हिबेनामा दिनांकित 28.01.2016 दाखिल किया गया है, जिसके अवलोकन से विदित है कि वजीर अहमद द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति के 1/2 भाग का हिबा वादनी हक में कर दिया गया है। वादनी, स्व० वजीर अहमद के दूसरे पुत्र स्व० इब्राहिम की 3 पत्नियों में से एक पत्नी हमीदा की पुत्री है। इसके अतिरिक्त दाखिल समस्त राजस्व अभिलेखों **कागज संख्या 14 ग ता 17 ग** एवं **कागज संख्या 117 ग ता 120 ग** के अवलोकन से दर्शित है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में प्रतिवादीगण का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज होना पाया जाता है। परन्तु खतौनियों के अंतिम पृष्ठों पर न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन के आदेश दिनांक 09.09.2023 के अनुसार राजस्व न्यायालयों के पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है। **कागज संख्या 108 ग** के द्वारा निगरानी सं० 1643/2023 के बाबत न्यायालय राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा "उभयपक्ष मौके पर यथास्थिति बनाये रखे" का आदेश पारित किया गया है।

11. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत वाद में यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के पूर्व मालिक वादनी व प्रतिवादीगण के पूर्वज वजीर अहमद थे। साथ ही यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद के पक्षकार एक ही परिवार व कुनबे के सदस्य हैं, ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में कुछ ऐसे प्रश्न तथ्यात्मक एवं सारभूत प्रकृति के अन्तर्वलित निहित हैं, जिनका समुचित निस्तारण पत्रावली में सम्पूर्ण साक्ष्य आने के पश्चात ही किया जा सकता है। अतः वाद के इस स्तर पर उभयपक्ष की बहस सुनने के उपरान्त प्रथम दृष्टया विवादित सम्पत्ति, में तोड–फोड व परिवर्तन न हो पाये, को सुरक्षित व संरक्षित करने के उद्देश्य से उभयपक्ष को विवादित सम्पत्ति के संबंध में मौके पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस संबंध में दौरान वाद विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित व संरक्षित रखने के उद्देश्य से संबंधित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवादित व्यवस्था **Ismail Faruqui vs. Union of India 1995 SC 605,** व **Julien Educational Trust Vs. Sourendra Kumar Roy, (2010) 1SCC 379,** सादर अनुप्रयोज्य है, जिसमें यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि–

" Issuing direction to maintain status quo in relation to disputed property is well known method and usual order made during the pendency of the dispute for preserving the property and protecting the interest of true owner till the adjudication is made. A change in the existing situation is fraught with the danger of prejudicing the right of true owner, yet to be determined as the maintenance of status quo during the pendency of suit is necessary so that disputed property can be handed over to the true owner found entitled to it after decision of the suit"

12. जहां तक सुविधा के संतुलन व अपूरणीय क्षति का प्रश्न है तो याददाश्त हिबेनामा से विदित है कि वजीर अहमद द्वारा प्रश्नगत सम्पत्ति का हिबा वादनी के हक में निष्पादित किया है एवं पत्रावली पर दाखिल समस्त राजस्व अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत सम्पत्ति के बाबत न्यायालय राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा यथास्थिति के आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। साथ ही उभयपक्ष

पारिवारिकजन है, एक ही कुनबे के हैं। ऐसी स्थिति में मामले में जटिलता उत्पन्न न हो, न्यायालय के मत में दोनों पक्षों के बीच सुविधा का संतुलन बराबर है तथा दौरान वाद यदि प्रश्नगत सम्पत्ति से संबंधित मौके की स्थिति का संरक्षण नहीं किया जाता है तो उभयपक्ष को अपूरणीय क्षति कारित होने की प्रबल संभावना है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का भार भी प्रश्नगत सम्पत्ति को सुरक्षित व संरक्षित रखने के पक्ष में पाया जाता है।

13. अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों तथा उक्त विधि व्यवस्थाओं के आलोक में न्यायालय के मत में न्याय निर्णयन तक उभयपक्ष द्वारा मौके पर यथास्थिति बनाये रखे जाना अत्यंत आवश्यक है जिससे की मौके पर प्रश्नगत सम्पत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6ग यथास्थिति बनाए रखे जाने के आदेश के साथ निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

वादनी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र–6ग 2 अन्तर्गत आदेश–39 नियम–1 व 2 व धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता निस्तारित किया जाता है। उभयपक्ष को आदेशित किया जाता है कि वे, वाद पत्र के अन्त में वर्णित प्रश्नगत सम्पत्ति के संबंध में, न्याय निर्णयन तक मौके पर यथास्थिति बनाये रखेंगे। तद्नुसार आपत्ति 40ग निस्तारित की जाती है।

पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने वाद बिन्दु दिनांक 26.08.2026 को पेश हो।

दिनांक –05.08.2026

(**अमित कुमार वर्मा**)
प्रथम अपर सिविल जज (सी.डि.)
सहारनपुर।
J.O. Code UP2568